17/06/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पाड कारी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2012/00039

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 182 दायर दिनांक : 01.08.2012

नत्थूराम पुत्र चुनाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. तखाराम पुत्र पूर्ण (स्वर्गवास)

1/1. लिछमादेवी पत्नी तखाराम जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/2. पाना पुत्री तखाराम (स्वर्गवास)

1/2/1. रामकुमार पुत्र पाना पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/2/2. मोनू पुत्र पाना पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/3. रामलाल पुत्र तखाराम
1/4. हेतराम पुत्र तखाराम
1/5. रजीराम पुत्र तखाराम
1/6. साहबराम पुत्र तखाराम
} जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/7. निरायणी पुत्री तखाराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/8. सोना पुत्री तखाराम पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/9. कोडी पुत्री तखाराम पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/10. किरता पुत्री तखाराम पत्नी गोमन्दराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतंसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2. चैनादेवी पत्नी चुना
3. मांगीलाल पुत्र चुना
4. देवीलाल पुत्र चुना
5. जगदीश पुत्र चुना
} जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

6. राजस्थान सरकार जरिये [illegible] (राजस्व) सूरतगढ़
7. उप–पंजीयक, सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए, 48, 207 व 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित :
1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक वादी
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/3
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 17.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण वादी व प्रतिवादी सं. 1/3 तथा पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए, 48, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 3 से 5 के पिता व प्रतिवादीया सं. 2 के पति स्व. चुना पुत्र पूर्ण के नाम से रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 339 में 2.8330 है0 व खसरा नं. 639/343 में 9.9640 है0, कुल 12.7970 है0 खातेदार दर्ज कागजात रहा जो वर्तमान में मूल खातेदार की मृत्यु उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 के नाम नामान्तरण के माध्यम से अंकित है। इसी प्रकार रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 341 में 6.9300 है0 व खसरा नं. 344 में 5.7160 है0, कुल 12.6460 है0 प्रतिवादी सं. 1 तखाराम पुत्र पूर्णराम के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी ने सीमाज्ञान करवाया तो पता चला कि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 344 में 5.7160 है0 पर कब्जा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 का चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 639/343 की 9.9640 है0 में से 5.7160 है0 पर कब्जा प्रतिवादी सं. 1 का चला आ रहा है। यह कब्जा काश्त पिछले 40 वर्षों से चला आ रहा है। रोही बछरारा के खसरा नं. 344 में अंकित 5.7160 है0 रकबा, जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज है, का कब्जा के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करने तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 के नाम अंकित रोही बछरारा के खसरा नं. 639/343 की 9.9640 है0 में से 5.7160 है0 का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 व 7 के विरुद्ध दिनांक 07.09.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। इसके पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने पर उनके वारिसों को पक्षकार बनाकर तलबी की गई, जिनमें से बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण सं. 1/1, 1/2/1, 1/2/2, 1/5 से 1/9 के विरुद्ध दिनांक 21.08.2015 को एवं प्रतिवादीगण सं. 1/3, 1/4 व 1/10 के विरुद्ध दिनांक 29.01.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वाद चलन के दौरान प्रतिवादी सं. 1/3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश निरस्त कर इन्हें जवाब प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी सं. 1/3 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए रोही बछरारा के खसरा नं. 341/6.930 है0, 344/5.716 है0, कुल 12.646 है0 बारानी प्रतिवादी के स्व. पिता तखा पुत्र पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर आवंटन की दिनांक से तखा का और उनके स्वर्ग सिधारने के पश्चात् वारिसान का मौका पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। खसरा नं. 344 की 5.716 है0 प्रतिवादीगण के पिता की सुधारी हुई भूमि, जो हमारे कब्जा काश्त में है, इस पर वादी अपना कब्जा बताकर इसे रिकॉर्ड में अपने नाम से अंकित करवाना चाहते हैं। वादी के द्वारा अपने नाम से अंकित कब्जा काश्त वाली खसरा नं. 339/2.833 है0 व 639/343/9.964 है0, कुल 12.797 है0 भूमि को सन् 2022 से इस पर अपना कब्जा काश्त बताते हुए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक व केनरा बैंक शाखा सूरतगढ़ से ऋण प्राप्त कर रखा है, जो कि बैंक द्वारा भूमि पर वादी, उसके भाइयों के कब्जा की जांच के पश्चात् ही ऋण प्रदान किया गया है। हमारी खसरा नं. 344 की 5.716 है0 भूमि पर वादी और उसके भाइयों व माता का कभी कब्जा नहीं रहा है और नां ही मौका पर है। प्रतिवादी सं. 2 का दिनांक 22.07.2024 को जवाबदावा पेश करने से करीब दो माह पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। इस कारण से [illegible] वादी स्वत[illegible] हो चुका है, इसलिए वाद वादी निरस्त किये जाने का [illegible] से पूर्व प्रतिवादी सं. 1/3 की अनुपस्थिति के आधार [illegible] कीयात कायम की गई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(1) आया वादी तथा प्रति. सं. 2 से 5 का कब्जा काश्त पिछले 40 वर्षों से रोही बछरारा के ख.नं. 344 का 5.7160 है0 रकबा जो रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से है, पर चला आ रहा है ? (वादी)

(2) आया वादी तथा प्रति. सं. 2 से 5 के नाम की भूमि ख.नं. 639/343 के 9.9640 है0 रकबा में 5.7160 है0 पर कब्जा काश्त प्रतिवादी नं. 1 के वारिसान का है ? (वादी)

(3) आया वादी तथा प्रति. नं. 2 से 5 मुताबिक कब्जा काश्त रिकॉर्ड में रकबा अपने नाम से दर्ज करवाने के हकदार हैं ? (वादी)

(4) अन्य अनुतोष।

इसके पश्चात् प्रतिवादी सं. 1/3 के जवाबदावा के आधार पर उक्त तनकीयात के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त तनकीयात कायम की गई :—

(5) आया रोही बछरारा ख.नं. 341/6.930 है0 एवं 344/5.716 है0, कुल 12.646 है0 बारानी खातेदारी तखा पुत्र पूर्ण जाति जाट प्रतिवादी सं. 1 के नाम से रिकॉर्ड में अंकित कर उनका और मृत्युपरान्त वारिसान का लगातार कब्जा काश्त रहा है ? (प्रतिवादी)

(6) आया तनकी सं. 1 में अंकित तखा की भूमि पर वादी और प्रति.सं. 2 से 5 का और तनकी नं. 2 में अंकित वादी व प्रतिवादी सं. 2 से 5 की भूमि पर तखा और इनकी मृत्युपरान्त वारिसान का मौका पर कब्जा कभी नहीं होने से वाद वादी निरस्त किये जाने योग्य है ? (वादी)

(7) आया प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर व्यवहार न्यायालय को होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य है ? (प्रतिवादी)

(8) आया वाद वादी विधि विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने और प्रतिवादी सं. 2 के फौत होने से स्वतः उपशनित होने से निरस्त योग्य है ? (प्रतिवादी)

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। वादी की ओर से स्वयं एवं खेत पड़ौसी दलीप पुत्र रेवंताराम के बयान शपथ—पत्र प्रस्तुत किये गये और साक्ष्य पर प्रदर्श अंकित करवाये गये। बयान शपथ—पत्रों पर जिरह वकील प्रतिवादी सं. 1/3 द्वारा सम्पादित की गई। प्रतिवादी सं. 1/3 की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

से स्वयं एवं स्व. तखाराम के वारिस साहबराम पुत्र तखाराम के बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये, जिन पर जिरह वकील वादी द्वारा समायत की गई।

साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात् तर्क पक्षकारान सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए बयान शपथ–पत्रों की ओर ध्यान दिलाया व निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 का प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित खातेदारी भूमि वाके रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 344 की 5.7160 है0 बारानी भूमि पर कब्जा पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से पूर्णतया सिद्ध होने से कब्जा मुखालिफाना (Adverse possession) के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर इस भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 को खातेदार कृषक घोषित करने की प्रार्थना की। इसी प्रकार स्वयं की रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 639/343 की 9.9640 है0, जो वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 के नाम अंकित है, में से 5.7160 है0 बारानी भूमि का प्रतिवादी सं. 1 के माध्यम से उसके वारिसों को खातेदार कृषक घोषित करने की प्रार्थना की। कब्जा मुखालिफाना (Adverse possession) के आधार पर घोषणा की जा सकती है, यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अपने कथनों के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 1991 पेज सं. 1 पैरा सं. 22, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज सं. 429, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज सं. 369, आर.एल.डब्ल्यू. 2012 (1) पेज सं. 271 व आर.आर.टी. 2020 (II) पेज सं. 819 प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/3 ने तर्कों का खण्डन किया व जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथमतः यह वाद प्रतिकूल कब्जा को आधार बना कर प्रस्तुत किया गया है। वादी ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि प्रतिवादी सं.1 या उसके वारिसों ने वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 को कब खसरा नं. 344 की 5.7160 है0 भूमि का कब्जा छोड़ने को कहा व कब वादी ने इसका [illegible] किया। [illegible] ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में अंकन करवाया है कि उसके द्वारा भूमि [illegible] करवाने का प्रार्थना–पत्र कभी नहीं दिया गया, इससे कब्जा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब मुखालिफाना हुआ,

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादी कतई स्पष्ट नहीं कर पाया। कब्जा इन्कारी की दिनांक के 12 वर्ष बाद ही होता है। यह मामला प्रतिकूल कब्जा (Adverse possession) का है। वाद में कब्जा मुखालिफाना किस दिनांक को शुरू हुआ, वादी के कथनों से कतई स्पष्ट नहीं हो रहा। मात्र किसी व्यक्ति के कब्जे को प्रतिकूल नहीं माना जा सकता। दोयम, दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्टतः वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 का रोही बछरारा के खसरा नं. 344 में कब्जा साबित नहीं होता। वाद वादी आधारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की। साथ ही निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों को पक्षकार ना बनाने से वाद वादी उपशमित होने निरस्त किये जाने योग्य है। इसे निरस्त करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुनने के उपरान्त पूर्ण पत्रावली का तर्कों के परिपेक्ष्य में पठन व मनन करने एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं. (1) – आया वादी तथा प्रति. सं. 2 से 5 का कब्जा काश्त पिछले 40 वर्षों से रोही बछरारा के ख.नं. 344 का 5.7160 है0 रकबा जो रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से है, पर चला आ रहा है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए मात्र स्वयं व खेत पड़ौसी के बयान शपथ–पत्रों का सहारा लिया है। शपथ–पत्र में भी वादी ने रोही बछरारा के खसरा नं. 344 की 5.7160 है0 भूमि पर पिछले 40 वर्षों से कब्जा बताया है। जिरह में उनके कौन से खसरा नम्बर में भूमि है, की जानकारी ना होना और अपनी भूमि का कभी भी सीमाज्ञान ना करवाया जाना बताया गया है। अपने नाम से विरासतन अंकित भूमि पर कृषि ऋण लिया हुआ है जो कि मौका पर बैंक वालों के द्वारा हमारे नाम से अंकित भूमि का कब्जा देखकर ही दिया गया है। मेरी माता का स्वर्गवास 1 वर्ष 3–4 माह पूर्व हो चुका है। इसी का प्रतिशपथ–पत्र प्रतिवादी सं. 1/3 व उसके भाई द्वारा दिया गया है अर्थात प्रतिशपथ–पत्र आने से वादी द्वारा दिये गये शपथ–पत्र को सन्देह से परे नहीं माना जा सकता। कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से जमाबन्दी में अंकित है, जो कि एक दस्तावेजी साक्ष्य है। इसे दस्तावेज के माध्यम से ही गलत सिद्ध किया जा सकता है। इस मामले

क्रमशः ..... पेज 7 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में वादी द्वारा कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही प्रतिवादी सं. 1 की भूमि पर जबरन कब्जा के बयानों द्वारा साबित किया गया है, इसलिए तनकी नं. 1 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया वादी तथा प्रति. सं. 2 से 5 के नाम की भूमि ख.नं. 639/343 के 9.9640 है0 रकबा में 5.7160 है0 पर कब्जा काश्त प्रतिवादी नं. 1 के वारिसान का है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था, जिसे सिद्ध करने की लिए वादी द्वारा मात्र शपथ–पत्र दिया गया है, जबकि प्रतिवादी सं. 1/3 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दियां, खसरा गिरदावरी व नक्शा भूमि आदि सार्वजनिक दस्तावेज व स्वयं के शपथ–पत्र पर बयान में प्रदर्श द्वारा अंकित किये गये हैं। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से है। इसी आधार व विवेचन अनुसार तनकी नं. 2 सन्देह से परे सिद्ध ना होने से विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया वादी तथा प्रति. नं. 2 से 5 मुताबिक कब्जा काश्त रिकॉर्ड में रकबा अपने नाम से दर्ज करवाने के हकदार हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 व 2 से है, जो विरुद्ध वादी निर्णय की जा चुकी है। तनकी दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत सिद्ध करने का भार वादी पर था। साक्ष्य वादी ने विपरीत सार्वजनिक साक्ष्य (Public document) प्रस्तुत नहीं किये। तनकी नं. 3 सन्देह से परे किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हुई, इसलिए यह खिलाफ वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (5) – आया रोही बछरारा ख.नं. 341/6.930 है0 एवं 344/5.716 है0, कुल 12.646 है0 बारानी खातेदारी तखा पुत्र पूर्ण जाति जाट प्रतिवादी सं. 1 के नाम से रिकॉर्ड में अंकित कर उनका और मृत्युपरान्त वारिसान का लगातार कब्जा काश्त रहा है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी सं. 1/3 ने इसे स्वयं के साक्ष्य एवं दस्तावेजी [illegible] गिरदावरी, राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श अंकित कर सिद्ध करने का प्रयास किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विपरीत साक्ष्य जो सार्वजनिक दस्तावेज हो, के आधार पर ही इसे सिद्ध किया जा सकता है। इस मामले में सार्वजनिक साक्ष्य, जो इस सार्वजनिक साक्ष्य को झूठलाते हों, कि प्रतिवादी का रोही बछरारा के खसरा नं. 344 की 5.7160 है0 बारानी भूमि पर कब्जा नहीं है, प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर अंकित काश्तकार का अपनी भूमि पर कब्जा होने की पूर्व सोच जमाबन्दी व गिरदावरी के आधार पर माने जाने योग्य है। तनकी नं. 5 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सन्देह से परे सिद्ध होने से बहक प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (6) – आया तनकी सं. 1 में अंकित तखा की भूमि पर वादी और प्रति.सं. 2 से 5 का और तनकी नं. 2 में अंकित वादी व प्रतिवादी सं. 2 से 5 की भूमि पर तखा और इनकी मृत्युपरान्त वारिसान का मौका पर कब्जा कभी नहीं होने से वाद वादी निरस्त किये जाने योग्य है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इसे स्वयं, गवाहों और किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया, इसलिए तनकी नं. 6 विरुद्ध वादी व बहक प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (7) – आया प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर व्यवहार न्यायालय को होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी द्वारा मात्र शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादी द्वारा इस सम्बन्ध में न्याय निर्णय आर.आर.डी. 1991 पेज सं. 1 पैरा सं. 22 लार्जर बेंच प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन है, इसलिए तनकी नं. 7 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (8) – आया वाद वादी विधि विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने और प्रतिवादी सं. 2 के फौत होने से स्वतः उपशमित होने से निरस्त योग्य है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को प्रतिवादी के द्वारा वादी के बयान की जिरह में पूछे गये प्रश्नों के दिये उत्तर में "मेरी माता का स्वर्गवास करीब 1 वर्ष 3–4 माह पूर्व में हो चुका है" का कथन

क्रमशः ..... पेज 9 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किया है जिनसे वादी की माता की मृत्यु होना करीब सवा वर्ष पूर्व होना साबित है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में अपनी माता प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना नहीं दी गयी है, जबकि विधि अनुसार किसी भी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् निर्धारित अवधि व्यतीत होते ही वाद–पत्र स्वत् उपशमित हो जाता है, जो कि इस वाद–पत्र में पूर्णतया लागू होता है, जो सन्देह से परे सिद्ध माना जा सकता है, इसलिए तनकी नं. 8 बहक प्रतिवादी व विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 का मोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 344 की 5.7160 है0 बारानी भूमि, जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी है, पर वादी का सन्देह से परे कब्जा सिद्ध ना होने, भूमि पर अधिकारों के सम्बन्ध में प्रतिवादी को कब इन्कारी की गई, स्पष्ट ना होने से, ना तो वादी का कब्जा विवादित भूमि पर सन्देह से परे साबित होता है व ना ही प्रतिकूल कब्जा किस दिनांक से शुरू होकर कब प्रतिकूल हुआ, सन्देह से परे सिद्ध ना होने और वादी की माता के स्वर्गवास सिधारने के पश्चात् वाद वादी स्वतः उपशमित होने एवं उक्त हेतु बनी तनकीयात नं. 1, 2 व 3 विरुद्ध वादी, बहक प्रतिवादी एवं तनकी नं. 5, 6 व 8 बहक प्रतिवादी सं. 1 निर्णित होने से वाद वादी निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 17.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

नत्थूराम पुत्र चुनाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
–वादी

बनाम

1. तखाराम पुत्र पूर्ण (स्वर्गवास)
- **1/1. लिछमादेवी पत्नी तखाराम जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
- **1/2. पाना पुत्री तखाराम (स्वर्गवास)**
  - **1/2/1. रामकुमार पुत्र पाना पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
  - **1/2/2. मोनू पुत्र पाना पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
- **1/3. रामलाल पुत्र तखाराम**
- **1/4. हेतराम पुत्र तखाराम**
- **1/5. रजीराम पुत्र तखाराम**
- **1/6. साहबराम पुत्र तखाराम**
  } जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
- **1/7. निरायणी पुत्री तखाराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
- **1/8. सोना पुत्री तखाराम पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
- **1/9. कोडी पुत्री तखाराम पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
- **1/10. किरता पुत्री तखाराम पत्नी गोमन्दराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)**

2. चैनादेवी पत्नी चुना
3. मांगीलाल पुत्र चुना
4. देवीलाल पुत्र चुना
5. जगदीश पुत्र चुना
} जाति जाट निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
7. उप–पंजीयक, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188, 92–ए, 48, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 182 वर्ष 2012 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/3 एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 का रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 344 की 5.7160 है0 बारानी भूमि, जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी है, पर वादी का सन्देह से परे कब्जा सिद्ध ना होने, भूमि पर अधिकारों के सम्बन्ध में प्रतिवादी को कब इन्कारी की गई, स्पष्ट ना होने से, ना तो वादी का कब्जा विवादित भूमि पर सन्देह से परे साबित होता है व ना ही प्रतिकूल कब्जा किस दिनांक से शुरू होकर कब प्रतिकूल हुआ, सन्देह से परे सिद्ध ना होने और वादी की माता के स्वर्गवास सिधारने के पश्चात् वाद वादी स्वतः उपशमित होने एवं उक्त हेतु बनी तनकीयात नं. 1, 2 व 3 विरुद्ध वादी, बहक प्रतिवादी एवं प्रतिवादी सं. 5, 6 व 8 बहक प्रतिवादी सं. 1 निर्णित होने से वाद वादी निरस्त किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिग ....×.......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फैसला की पूर्ण ....×..........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **17.06.2025** को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)